संख्या 2393/उन्तीस (2)/07–2(41पे0)/2006

प्रेषक,

टीकम सिंह पँवार
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक/9 दिसम्बर, 2007

विषय : वित्तीय वर्ष 2007–08 में क्षतिग्रस्त ग्रामीण पेयजल योजनाओं के सुदृढीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र सख्या 4697/वि0अनु0/02/उपयोगिता/2007–08 दिनांक 23.11.2007 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य योजना के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त ग्रामीण पेयजल योजनाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु रू0 524.71 लाख (रू0 पाँच करोड़ चौबीस लाख इकहत्तर हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु जनपदवार निम्न विवरणानुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद	योजना की संख्या	प्राकल्पित धनराशि	पूर्व स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत जा रही धनराशि
01	02	03	04	05	06
01	देहरादून	06	331.33	96.33	235.00
02	पौड़ी	24	78.00	50.00	28.00
03	चमोली	09	37.00	15.00	22.00
04	रूद्रप्रयाग	13	76.00	41.00	35.00
05	टिहरी	19	131.50	101.50	30.00
06	उत्तरकाशी	20	123.50	50.00	73.50
07	नैनीताल	41	100.50	66.34	34.16
08	उधमसिंहनगर	08	22.00	17.20	4.80
09	अल्मोड़ा	23	59.00	28.50	30.50
10	बागेश्वर	11	37.00	19.00	18.00
11	पिथौरागढ़	31	57.00	43.25	13.75
12	चम्पावत	11	44.45	44.45	0.00
	कुल योग	**216**	**1097.28**	**572.57**	**524.71**

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून के कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा। आहरण से सम्बन्धित बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को तत्काल उपलब्ध कराई जाय।

2

3. स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों पर उत्तर प्रदेश शासन के वित्त लेखा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या ए–2–87(1)दस–97–17(4)/75 दिनांक 27.02.1997 के अनुसार सेन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यों की कुल लागत के सापेक्षपूर्व में व्यय की गई धनराशि मे सेन्टेज चार्जेज के रूप में व्यय की गई धनराशि को समायोजित करते हुए कुल सेन्टेज चार्जेज 12.50 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नहीं होगी। कृपया इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कर आगणन में सेन्टेज की व्यवस्था उक्तानुसार ही की जाय।

4. योजना में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों तथा जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

5. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

6. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

7. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

10. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

11. योजना को स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा तथा किसी भी दशा में पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकार नही होगा।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक– "2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम–03–ग्रामीण पेयजल राज्य सेक्टर–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता " के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 702/XXVII (2)/2007 दिनांक 12 दिसम्बर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(टीकम सिंह पँवार)
संयुक्त सचिव

संख्या 2393 /उन्तीस (2)/07–2(41पै0)/2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

.....3

2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड (हरिद्वार एवं चम्पावत को छोड़कर)।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2/वित्त (बजट सैल)/नियोजन प्रकोष्ठ।
7. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8. स्टाफ आफीसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
9. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव